भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3785

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

कलमसेरी स्थित एचएमटी इकाई के पुनरुद्धार की स्थिति

3785. श्री हैबी ईडन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के कलमसेरी स्थित एचएमटी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) क्या एचएमटी कार्यशील पूंजी की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक प्रतिस्पर्धी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) होने के बावजूद एचएमटी लघु उद्योग (एसएसआई) प्राथमिकता खंड के अंतर्गत निविदाएं गंवा रहा है;

(घ) क्या सरकार के पास कलमसेरी में एचएमटी की भूमि परिसंपत्तियों की रक्षा करने और केरल में नई औद्योगिक या रोजगार सृजक परियोजनाओं का उपयोग करने की कोई योजना है,

(ङ) क्या उक्त विस्तार योजनाओं में कलमसेरी इकाई में नई विनिर्माण प्रौद्योगिकियों या उत्पाद शृंखलाओं को शुरू करना शामिल है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): एचएमटी लिमिटेड (एचएमटीएल), एचएमटी समूह की कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। इसके दो विनिर्माण इकाइयां हैं; खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई, औरंगाबाद तथा सहायक व्यवसाय प्रभाग, बेंगलुरु। एचएमटी लिमिटेड की कलमसेरी, केरल में कोई विनिर्माण इकाई नहीं है। तथापि, इसकी दो सहायक कंपनियों में से एक, अर्थात् एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की कलमसेरी, केरल में एक विनिर्माण इकाई प्रचालनरत है।

(ख) और (ग): जी, हां। पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, कम उत्पादकता आदि के कारण एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की निवल संपत्ति वर्षों से क्षीण होती गई है और कंपनी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

(घ): सरकार ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत दिनांक 14.01.2011 के सांविधिक आदेश 222 द्वारा एचएमटी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियों के उपयुक्त कर्मचारियों को संपदा अधिकारी के रूप में नामित किया है।

(ङ) और (च): एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, जिसकी कई इकाइयां हैं, जिनमें कलमसेरी इकाई भी शामिल है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) होने के नाते, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा सीपीएसई के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती है और अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश संबंधी उचित निर्णय लेती है।

******